

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 320/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:-88/53 आरटीए



1. सर्वजीत कौर बेवा वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. जसपाल सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. रसपाल सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम्

1. मलकीत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह उर्फ भगत सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अमरजीत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह उर्फ भगत सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. जगराज सिंह पत्नी नसीब कौर पुत्री मुकुन्द सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सुखवीर कौर पुत्री वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. अमनदीप कौर पुत्री वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. गुरदित सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. तहसीलदार, राजस्व, संगरिया
8. कलवंत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री बद्दीनारायण जाखड़ अधिवक्ता – वादीगण
2. श्री देवेन्द्र सिंह अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व 8 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। जो कि मृतक मुकुन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह उर्फ भगत सिंह के वारिसान हैं। वादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 व 8 के नाम से चक 7 एमजेडी के खाता सं. 95/70 में 0.759 है. व इसी चक के खाता सं. 93/9 में 1.771 है. व इसी चक के खाता सं. 15/70 में 1.771 है. व चक 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 107/13 में 2.868 है. चक नं. 7 एमजेडी के खाता सं. 94/70 में 1.771 है. इस प्रकार कुल 8.940 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में अच्छी मंदा व कम ज्यादा कर विवाद उत्पन्न हो गया था, इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदा व कम ज्यादा के हिसाब से घरू बंटवारा कर लिया है। समस्त खातों की जमाबंदी

संलग्न वाद पत्र है। वादी पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि का वादीगण एव प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदा अनुसार घरु विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था, मुताबिक घरु विभाजन वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। मुताबिक घरु विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में कोई विवाद नहीं है। किंतु मुताबिक कब्जाकाश्त जमाबंदी में अंकन नहीं होने के कारण सींव बट व रकम राज मामले को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिए मुताबिक घरु विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। मुताबिक घरु विभाजन वादीगण को निम्न भूमि आयी है।

क. वादीया सर्वजीत कौर के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:—

चक 7 एम.जे.डी.

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/173	4	5/0.228है. 6/0.253है. 15/0.253है.
		16/0.126है. 0.860है. गै.मु. 0.025है.
		कुल कृषि भूमि 0.885है. मय गै.मु.

ख. वादी जसपाल सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:—

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/172	45	20/0.163है. 21/0.253है. 22/0.085है.
		कुल कृषि भूमि 0.501है. मय गै.मु.

ग. वादी रसपाल सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:—

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/172	46	6/0.253है. 15/0.253है. 16/0.253है. 25/0.253है.
		कुल कृषि भूमि 1.012है.

प्रतिवादी सं. 6 गुरदित्त सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह व प्रतिवादी सं. 7 कुलवन्त सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के हक व आधिपत्य में जरिए राजीनामा बहिब से प्राप्त कृषि भूमि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:—

चक नं. 7 एमजेडी

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
154/174	7	8/0.122, 9/0.253, 10/0.253है., 12/0.253है. 13/0.253है. 14/0.253
		15/0.228, 0.025है. गै.मु.
		17,18,19/0.759है.

इस प्रकार कुल 2.399है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भुआ नसीब कौर जो फौत हो चुकी है। उनके वारिस हमारे बहनोई प्रतिवादी सं. 3 जगराज सिंह है। प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादीगण की लड़की व बहिन है। इन्होंने अपना उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में बहिब के हिसाब से कर दिया है। इसलिए उक्त प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है। वादीगण घरु विभाजन के मुताबिक अपने हक व हिस्से की भूमि पर काफी अरसा पूर्व से काश्त करते चले आ रहे हैं। अब वादीगण की उक्त कृषि भूमि सांझा खाते में दर्ज होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादीगण अपना खाता अलग करवाना चाहते हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वो वादी को वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खाता अलग कायम कर इसी अनुसार कब्जाकाश्त अनुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम करवा दो तो



प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे किंतु बाद में वादीगण की बात मानने से स्पष्टतया इनकार हो गए बस यही वाद कारण है। प्रति. सं. 1 ता 6 व 8 को सहकाशकार होने के कारण व प्रति सं. 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद वादीगण बाबत खाता इस्तकरार हक व तकसीम का है जो उचित 2 रूपए के न्याय शुल्क पर पेश है। काबिल समाहित वाला व अंदर मियाद है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 व वादीगण के मध्य राजिनामा पेश किया गया। दोनो पक्षों को पढकर सुनाया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजपैरोकार की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई व बहस वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 ने घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं है। अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग-कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 7 एमजेडी खाता संख्या 95/70, 93/9, व 15/70 ज.सं. 2071-74 तथा चक 10 एनटीडब्ल्यू के खाता सं. 107/13 व 94/70 ज.सं. 2073-76 सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी [वादीगण/प्रतिवादीगण](#) के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काशत कर रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:-

1. वादीया सर्वजीत कौर के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 7 एम.जे.डी.		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
153/173	4	5/0.228है. 6/0.253है.15/0.253है.16/0.126है.कुल 0.860 है. गै.मु. 0.025है. कुल कृषि भूमि 0.885है. नहरी मय गै.मु.

2. वादी जसपाल सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 10 एनटीडब्ल्यू		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
154/172	45	20/0.163है. 21/0.253है. 22/0.085है. कुल कृषि भूमि 0.501है. नहरी मय गै.मु.

3. रसपाल सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 10 एनटीडब्ल्यू		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
153/172	46	6/0.253 है. 15/0.253 है. 16/0.253 है. 25/0.253 है. कुल कृषि भूमि 1.012 है.

4. प्रतिवादी सं. 1 मलकीत सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 7 एम.जे.डी.		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
154/173	5	1, 2/0.506 है. 9, 10/0.506 है. 11, 12/0.506 है. 19, 20/0.506 है.
153/173	4	16/0.127, 25/0.253 है. कुल 2.404 है. कृषि भूमि नहरी

5. प्रतिवादी सं. 2 अरमजीत सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
153/172	46	4/0.228, 5/0.228 है.
154/172	45	9,10,11/0.759 है. 20/0.090 है.
चक नं. 7 एमजेडी		
154/174	7	3/0.253 है., 8/0.131 है. 0.050 है. गै.मु.इस प्रकार कुल 1.739 है. नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि

6. गुरदित्त सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह व प्रतिवादी सं. 7 कुलवन्त सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक नं. 7 एमजेडी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
154/174	7	8/0.122, 9/0.253, 10/0.253 है., 12/0.253 है. 13/0.253 है. 14/0.253, 15/0.228, 0.025 है. गै.मु. 17,18,19/0.759 है. इस प्रकार कुल 2.399 है. नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि

अतः उक्तानुसार वादीगण/प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 320/2022

1. सर्वजीत कौर बेवा वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. जसपाल सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. रसपाल सिंह पुत्र वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम्

1. मलकीत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह उर्फ भगत सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. अमरजीत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह पुत्र मंगल सिंह उर्फ भगत सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. जगराज सिंह पत्नी नसीब कौर पुत्री मुकुन्द सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. सुखवीर कौर पुत्री वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. अमनदीप कौर पुत्री वजीर सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. गुरदित सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. तहसीलदार, राजस्व, संगरिया
8. कलवंत सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह जाति तरखान निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बद्रीनारायण जाखड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री देवेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:-

1. वादीया सर्वजीत कौर के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 7 एम.जे.डी.		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
153/173	4	5/0.228है. 6/0.253है.15/0.253है.16/0.126है.कुल 0.860 है. गै.मु. 0.025है. कुल कृषि भूमि 0.885है. नहरी मय गै.मु.

2. वादी जसपाल सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 10 एनटीडब्ल्यू		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
154/172	45	20/0.163है. 21/0.253है. 22/0.085है. कुल कृषि भूमि 0.501है. नहरी मय गै.मु.

3. रसपाल सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 10 एनटीडब्ल्यू		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
153/172	46	6/0.253 है. 15/0.253 है. 16/0.253 है. 25/0.253 है. कुल कृषि भूमि 1.012 है.

4. प्रतिवादी सं. 1 मलकीत सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक 7 एम.जे.डी.		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
154/173	5	1, 2/0.506 है. 9, 10/0.506 है. 11, 12/0.506 है. 19, 20/0.506 है.
153/173	4	16/0.127, 25/0.253 है. कुल 2.404 है. कृषि भूमि नहरी

5. प्रतिवादी सं. 2 अरमजीत सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:-

चक नं. 10 एनटीडब्ल्यू		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
153/172	46	4/0.228, 5/0.228 है.
154/172	45	9,10,11/0.759 है. 20/0.090 है.
चक नं. 7 एमजेडी		
154/174	7	3/0.253 है., 8/0.131 है. 0.050 है. गै.मु.इस प्रकार कुल 1.739 है. नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि

6. गुरदित्त सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह व प्रतिवादी सं. 7 कुलवन्त सिंह पुत्र मुकन्द सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक नं. 7 एमजेडी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
154/174	7	8/0.122, 9/0.253, 10/0.253 है., 12/0.253 है. 13/0.253 है. 14/0.253, 15/0.228, 0.025 है. गै.मु. 17,18,19/0.759 है. इस प्रकार कुल 2.399 है. नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि

अतः उक्तनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया